

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ
Ministry of Environment, Forest & Climate Change
Integrated Regional Office, Lucknow

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-44, Aliganj, Lucknow-226024, Telefax-2526696
E-mail: eoz@moef.nic.in

पत्र सं० : 8वीं/यू0पी0/08/246/2022/एफ.सी. 1410

दिनांक: 31.08.2022

सेवा में

अति. मुख्य सचिव,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन, बापू भवन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या: FP/UP/Pipeline/152749/2022

विषय: जनपद मीरजापुर के अन्तर्गत राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के तहत दौंती ग्राम समूह पेयजल योजना हेतु विभिन्न ग्रामों में पेयजल पाईपलाईन बिछाये जाने में प्रभावित 0.1797 हे० संरक्षित वनभूमि एवं 0.5897 हे० आरक्षित वनभूमि के बिना वृक्ष मातन के गैरवाणिज्यी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : सचिव(वन), उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक-1649/81-2-2022-800(171)/2022, लखनऊ, दिनांक-02.08.2022

नहाँदर

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करे। जिसके द्वारा विषयवस्तु प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रकार में विचारपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि निम्न बिन्दुओं पर आवश्यक सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराए ताकि आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके-

1. The complete .kml file of the area proposed for diversion is not depicted in the SOI toposheet. This needs rectification.
2. No objection certificates of concerned departments (Irrigation, P.W.D. etc.) need to be submitted.
3. An undertaking needs to be submitted by the U/A stating that the proposal includes complete forest area involved in the execution of said project no piecemeal proposal shall be entertained.
4. Details of Alternative alignments needs to be provided in .kml file and also on toposheets.
5. Complete plan of supply of water to the said village needs to be submitted. All components need to be depicted in .kml file.

भवदीया,

(डॉ० प्राची गंगवार)

उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि (इनेत द्वारा):

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(हॉक), वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
2. मुख्य वन संरक्षक(वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, वन विभाग, 17, राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0प्र0।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर।
4. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड उ0प्र0 जल निगम गाम्भीण, मीरजापुर।
5. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु/आदेश पत्रायली।

(डॉ० प्राची गंगवार)
उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
पत्रांक- 794 /11-सी-FP/UP/Pipeline/152749/2022, लखनऊ, दिनांक: सितम्बर 01, 2022

प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर वांछित बिन्दुवार सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ प्रेषित करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय वनाधिकारी, मीरजापुर वन प्रभाग, मीरजापुर को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर वांछित बिन्दुवार सूचना एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख इस कार्यालय को मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से तीन प्रतियों में संस्तुति के साथ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि- अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम, मीरजापुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,

उ0प्र0, लखनऊ।

कार्यालय प्र० यू० पी० सी०
पत्रांक 766 दि० 1-9-22
प्रतिलिपि डॉ० प्राची गंगवार
अधिसूचना के माध्यम से
उ० प्र० जल निगम
मीरजापुर को इस आशय
के साथ प्रेषित कि
आपत्तियों का निराकरण
कर वांछित सूचना एवं
अभिलेख 5 प्रतियों में
इस कार्यालय को उपलब्ध
करावे।

प्रभागीय वनाधिकारी
मीरजापुर वन प्रभाग
मीरजापुर